क्रम संख्या–02

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 03 जनवरी, 2013 ई0
पौष 13, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 06/XXXVI(3)/2013/69(1)/2012
देहरादून, 03 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012** पर दिनांक 01 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2013}

उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन

2. उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में जहां—जहां शब्द "उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय" आये है, वहां—वहां वह शब्द "ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय" पढ़े जायेंगे।

अधिनियम के अंग्रेजी रूपान्तरण में धारा 13 की उपधारा (1) का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में आए शब्द "ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी (डीम्ड यूनिवर्सिटी)" के स्थान पर "ग्राफिक एरा एजूकेशनल सोसाइटी, देहरादून" पढ़ें जायेंगे।

व्यावृत्ति

4. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,

प्रमुख सचिव।